आदेश की क्रम-सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
17.11.2011	**समाहरणालय, मुंगेर।** **(खास महाल शाखा)** **आदेश** खास महाल जमीन की सर्वेक्षण एवं समीक्षा के दौरान जून माह में यह पाया गया था कि खास महाल अन्दर किला तौजी नं0- 1333, खसरा सं0- 111 की मूल लीजधारी शाह मो0 जकुटिया, पिता- शाह मो0 याकुब अपने मकान से अनुपस्थित हैं एवं पिछले कुछ माह से उक्त भवर पर भूतपूर्व सांसद, विजय कुमार विजय द्वारा कब्जा किया गया था। श्री विजय कुमार विजय, भूतपूर्व सांसद को इस कार्यालय के ज्ञापांक 350, दिनांक 27.07.11 से बजरिये नोटिस यह सूचित किया गया था कि उक्त खास महाल की जमीन, जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, के लीज की प्रति या क्रय-विक्रय का कोई दस्तावेज है तो उसे दिनांक 02.08.11 तक प्रस्तुत करें। दिनांक 02.08.11 को विजय कुमार विजय, भूतपूर्व सांसद द्वारा बिना कोई पुराना आवेदन या लीज की प्रति या क्रय-विक्रय दस्तावेज के एक पृष्ठ पर यह आवेदन दिया गया था कि वर्ष 1996 से वे किराये पर लेकर रह रहें हैं एवं वर्ष 2005 में उन्होंने अपने नाम से एक आवेदन दिया कि उपरोक्त खसरा के जितनी भूमि पर उनका कब्जा है, उतने भाग का लीज उनके नाम पर किया जाय, किन्तु उक्त आवेदन के साथ उन्होंने वर्ष 2005 का न कोई आवेदन संलग्न किया और न ही कोई क्रय-विक्रय, किरायानामा, लीज दस्तावेज कुछ भी संलग्न किया है। उक्त आधार पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 408, दिनांक 06.09.11 से उनके समर्पित आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उन्हें अतिक्रमण खाली करने	

का आदेश दिया गया था। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को यह आदेश दिया गया कि उक्त जमीन पर आवेदक द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे एवं अतिक्रमण को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत् त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर ने अतिक्रमण वाद में अंतिम आदेश अपने ज्ञापांक 1083, दिनांक 23.09.11 द्वारा पारित किया एवं अपने पत्रांक 1203/गो0, दिनांक 29.10.11 से सूचित किया कि उक्त अतिक्रमण को खाली कराया जा चुका है।

इस प्रकार यह अतिक्रमण बिहार खास महाल नीति, 2011 की कंडिका-17 के अनुसार निर्धारित विहित प्रक्रिया द्वारा हटाया गया एवं अतिक्रमित भूमि एवं उस पर अवस्थित भवन एवं अन्य संरचनाओं के साथ दखल कब्जे में ले लिया गया। इस कार्यवाही के उपरान्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 490/खा0म0, दिनांक 14.11.11 से दखल सम्पत्ति के समुचित उपयोग हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिये गये।

तदोपरान्त दिनांक 14.11.11 को भूतपूर्व सांसद, विजय कुमार विजय ने अपना एक अभ्यावेदन सी0डब्लूजे0सी0 सं0 17213/11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.11 को पारित आदेश की internet copy संलग्न करते हुए दिया है। उनका अभ्यावेदन 05 (पॉच) पृष्ठों का है जिसमें उसके साथ कुल 04 (चार) अनुलग्नक पृष्ठ 06 से 14 तक है। अनुलग्नक 04 में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 17213/11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.11.11 के आदेश की web copy संलग्न की गयी है।

आदेश के अवलोकन से निम्न बिन्दु स्पष्ट होते हैं कि आवेदक विजय कुमार विजय ने उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर के नोटिस दिनांक 08.09.11 के विरोध में दायर की थी जिसमें आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की थी कि

"The land in question is the Khas Mahal land over which was leased out to one Sah Md. Zakuria. The petition took the said premises for residential purposes on rent from Sah Md. Zakuria in the year 1995 and since then he was living in it."

माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के अंतिम पैरा में निम्नलिखित आदेश दिया है :-

"It appears that the original lessee namely, Sah Md. Zakuria first rented the premises to the petitioner in the year 1995 and thereafter he transferred the premises in his favour, though without the approval of the Collector of the district in violation of terms and conditions of the lease. Nonetheless, the circular provides namely to the transferee, which has been quoted above. The petitioner has already filed a representation before the Collector, Munger in the year, 2005. In case the petitioner files fresh representation annexing the copy of the earlier representation, the same would be considered in accordance with law by the learned Collector.

With the aforesaid observation, this application is disposed of."

उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 में राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जा सका था एवं न्यायालय द्वारा मुख्यतः आवेदक को यह आदेश दिया गया था कि यदि आवेदक एक नया अभ्यावेदन दायर करें जिसमें वर्ष 2005 में दिये गये आवेदन की छायाप्रति संलग्न हो तो उसे समाहर्त्ता द्वारा विधिसम्मत विचारण करते हुए कार्रवाई की जाय।

इस मामले में आवेदक द्वारा समर्पित इस अभ्यावेदन का मैंने अवलोकन किया जिसमें निम्नलिखित कमियॉ परिलक्षित होती है :-

1. इस अभ्यावेदन के साथ तथाकथित वर्ष 2005 में दिया गया अभ्यावेदन संलग्न नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि माह अगस्त में अतिक्रमण खाली करने का आदेश देने के पूर्व उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था परन्तु उस समय भी उन्होंने 2005 में दिये गये किसी भी प्रकार के आवेदन को संलग्न नहीं किया था और न ही शाह मो0 जकुटिया द्वारा किरायानामा पर मकान लेने अथवा क्रय करने अथवा किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज की प्रति संलग्न किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक विजय कुमार विजय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को गलत सूचना देकर अपने पक्ष में आदेश लेने का प्रयास किया गया तथा आज भी अस्पष्ट अभ्यावेदन देने का प्रयास किया गया है।
2. आवदेक के अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि वे इस गलतफहमी में हैं कि उनका अतिक्रमण उक्त खसरा सं0 111 से खाली कराये जाने की कार्रवाई 1973 के किसी परिपत्र के आधार पर की गयी है। वस्तुतः यह पूरी कार्रवाई खास महाल नीति, 2011 के आधार पर विधिसम्मत तौर पर खास महाल नीति, 2011 की धारा 17 एवं अन्य प्रावधानों के अनुरूप की गयी है।
3. आवेदक ने नोट्रेडैम एकेडमी, योगा यूनिवर्सिटी एवं अन्य कई व्यक्तियों के नाम अपने अभ्यावेदन में लिखे हैं, किन्तु वे उनके मामले में कैसे संबंधित हैं, यह कहीं स्पष्ट नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं आवेदक विजय कुमार विजय की जानकारी के लिए पुनः स्पष्ट किया जाता है कि खास महाल नीति, 2011 के लागू होने के उपरान्त खास महाल जमीनों की समीक्षोपरान्त इस मामले में विधिसम्मत तौर पर आवेदक विजय कुमार विजय से यह अतिक्रमण खाली कराया गया है एवं उक्त

खास महाल भूमि, उस पर अविस्थत भवन इत्यादि सभी संरचनाओं के साथ बिना किसी प्रकार के मुआवजा के सरकार द्वारा अपने दखल कब्जे में लिया गया है। अतः आवेदक विजय कुमार विजय के इस अभ्यावेदन को पूर्णतः अस्वीकृत किया जाता है।

चूंकि अभ्यावेदन में विजय कुमार विजय ने अपना पता स्पष्ट तौर पर न लिखकर मोहल्ला– हाजी सुजान, थाना–कोतवाली, जिला–मुंगेर लिखा है, अतः इस आदेश की प्रति कोतवाली थाना के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जाय एवं एक प्रति उस भवन पर चिपकायी जाय जिसपर पहले आवेदक अतिक्रमण कर निवास कर रहे थे, किन्तु यह संभव है कि आवेदक पूर्व में अतिक्रमित भूमि अथवा थाना में अगले कुछ माह तक नहीं जायें, अतः इस आदेश की एक प्रति मोहल्ला हाजी सुजान में लाउड स्पीकर के माध्यम से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रचारित की जाय तथा एक प्रति जिला की वेबसाईट एवं समाहरणालय नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की जाये।

30/11/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक................/खा0म0, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/जिला खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक..................../खा0म0, दिनांक......................

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......496......./खा0म0, दिनांक 19/11/2011

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।